

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

रा.प्र.क्रं.

निंज/3494-II-15 सन् 2015

हरचरन विश्वकर्मा तनय कन्दू विश्वकर्मा (लुहार)

नि० ग्राम गुरैया तह० व जिला छतरपुर म.प्र.

---निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- लक्ष्मी प्रसाद तनय मकुन्दी लाल ब्राह्मण
- 2- पुरुषोत्तम तनय मकुन्दी लाल ब्राह्मण
दोनो नि० ग्राम गुरैया तह० व जिला छतरपुर म.प्र.
- 3- शासन म०प्र० द्वारा अधीक्षक, भू-प्रबंधन अधिकारी छतरपुर -----अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

न्यायालय अधीक्षक भू-प्रबंधन छतरपुर के प्रकरण क्रं०

29/अ-12/2014-15 लक्ष्मी प्रसाद बनाम शासन म०प्र०

मे पारित आदेश दिनांक 28.8.2015 के विरुद्ध निगरानी

प्रस्तुत की गई है।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित आधारों पर निगरानी पत्र प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि खसरा नं. 330, 331, 749, 750, 752, 753, 333 कुल किता-7 एकत्र रकवा 1.858 है० स्थित ग्राम गुरैया तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. में है। जिसका कि सीमांकन निगरानीकर्ता के द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख शाखा छतरपुर के माध्यम से प्रकरण क्रं०-9/अ-12/2014-15 के आधार पर दर्ज करते हुये दिनांक 8.6.2015 को गठित दल के सदस्यों द्वारा टी.एस.एम. मशीन से कमलेश पटेल प्रभारी द्वारा किया गया था जिसे कि दिनांक 15.6.2015 को अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर के द्वारा विवाद न होने की स्थिति मे स्वीकार किया गया था ।

2- यह कि निगरानीकर्ता द्वारा सीमांकन के पश्चात् सीमा चिन्ह लगाने के संबंध में पड़ोसी कृषकों तथा निगरानीकर्ता से विवाद होने पर निगरानीकर्ता द्वारा एस.डी.एम. छतरपुर के समक्ष धारा 145 जा.फौ. का आवेदन प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन है तत्पश्चात् अनावेदकगण के द्वारा अधीक्षक भू प्रबंधन अधिकारी के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमे कि भूमि खसरा नं. 368/1, 368/2, 368/3, 352/1, 369/2 का सीमांकन किया जाना था


- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3494-दो / 2015

जिला-छतरपुर

हरचरन विश्वकर्मा विरुद्ध लक्ष्मी प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषक हस्ताक्षर
18-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित ।3. यह निगरानी अधीक्षक भू-प्रबंधन छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 29/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 28-08-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p style="text-align: right;"> (आर.के. जैन) सदस्य 18/03/19</p> <p style="text-align: center;">3</p>